राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्थाषन
जलविज्ञान भवन, रूड़की

<u>संस्थाभन की कैंटीन को चलाने हेतु निविदा संबंधी सूचना</u>

संस्थासन की कैंटीन को एक वर्ष ठेके पर चलाने के लिए प्रतिष्ठिहत ठेकेदारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । कैंटीन में चाय, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, मट्ठी, कटलेट, गुलाब जामुन, लड्डू (बेसन मलाई) कोल्डं ड्रिंक्स , दोपहर का खाना, आदि बनाने/बेचने का प्रावधान प्रस्ता वित है । **उक्तब संस्थाकन में कर्मचारियों की संख्याक लगभग 350 है ।**

निविदा संबंधी प्रपत्र जिसमें निविदा संबंधी नियम व शर्ते दी हुई हैं, क्रय अधिकारी, राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्थाजन, रूड़की के कार्यालय से**<u>रू. 118/- के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो कि राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्थासन, रूड़की के नाम देय हो,</u>** निविदा प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दटर प्राप्त् किया जा सकता है। वेबसाइट **nihroorkee.gov.in** से निविदा प्रपत्र डाउनलोड के द्वारा प्राप्त करके रू. 118/- के डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के साथ भेजा जा सकता है ।

1. निविदा के साथ रू. **5,000/- बयाना** के रूप में (Ernest Money) डिमान्डद ड्राफ्ट के रूप में राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्थाhन, रूड़की के नाम भेजना आवश्यबक है ।
2. निविदा की अन्तिलम तिथि निविदा प्रपत्र पर दी हुई है एवं उसके खुलने के समय इच्छिात ठेकेदार/प्रतिनिधि उपस्थितत हो सकते हैं ।
3. कोटेशन वाले लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर “**<u>कैंटीन की निविदा”</u>** लिखा होना चाहिए एवं क्रय अधिकारी, राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्थांन, रूड़की को प्रेषित होना चाहिए ।
4. निदेशक, राष्ट्री�य जलविज्ञान संस्था न को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये उक्त. निविदा को निरस्तष अथवा स्वीलकृत कर सकते हैं ।

क्रय अधिकारी

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,

रूड़की-247 667

सं.- 6/50/2018 दिनांक: 25/9 /2018

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की कैंटीन को एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने हेतु ऐसे व्यक्तियों से सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो कैंटीन चलाने आदि का पर्याप्त अनुभव रखते हों । इस संस्थान में लगभग 350 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

पंखा, बत्ती तथा पानी की सुविधा कैंटीन में संस्थान द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध है । कैन्टीन में उपलब्ध फर्नीचर आदि सामान तथा एक कुकिंग गैस बर्नर भी उपयोग किये जाने हेतु बिना शुल्क के उपलब्ध कराये गये हैं । कैंटीन में उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न निर्धारित सामग्रियाँ निम्नलिखित होंगी । इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है किया जाता है कि वे मदवार अपनी दरें अंकित करें तथा मुहर बन्द निवदाएं 24 अक्टूबर, 2018 सांय 4.30 बजे तक क्रय अधिकारी, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की को भेजे ।

क्रम सं.	खाद्यय सामग्री का नाम	मात्रा/ वजन	दर
1.	चाय	120 मिली0	
2.	समोसा	75 ग्राम	
3.	ब्रेड पकोड़ा	75 ग्राम	
4.	मटठी	50 ग्राम	
5.	कटलेट	75 ग्राम	
6.	गुलाब जामुन/काला जामुन	50 ग्राम	
7.	शीतल पेय	उन पर छपी मानक दरें अथवा उससे कम	
8.	बिस्कुट	-तदैव-	
9.	चिप्स	-तदैव-	
10.	दोपहर का लंच	(4 रोटी, 100 ग्राम चावल अच्छी किस्म का, 150 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी)	

यदि इच्छुक व्यक्ति कैंटीन में अन्य कोई सामग्री कैंटीन समिति से सलाह करके उपलब्ध कराना चाहे तो उसकी दर भी अंकित कर सकते हैं ।

जलपान गृह के संचालन हेतु निर्धारित शर्तें

1. यह ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए होगा ।
2. चयन किये हुए ठेकेदार को प्रतिभूति जमानत के रूप में 5000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) की राशि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था न के वित्त5 अनुभाग में जमा करनी होगी । संस्थागन की कैण्टीान सम्पयत्तिं को नुकसान अथवा हानि होने की स्थिभति में नुकसान अथवा हानि की धनराशि के बराबर वसूली ठेकेदार से की जायेगी और यदि ऐसी परिस्थिनतयां उत्पबन्नव हो जाती हैं तो जमा राशि को ठेकेदार को वापिस न करने का संस्थािन को पूर्ण अधिकार होगा ।
3. यदि ठेकेदार कैंटीन को निर्धारित ठेका अवधि से पूर्व ही संस्थािन की सहमति के बिना किसी भी कारण से चलाना बन्दध कर देता है तो संस्थािन को उसकी जमानत राशि को वापस न करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
4. ठेके की अवधि का दोनों पक्षों की परस्पदर सहमति से और अवधि के लिए नवीनीकरण ठेकेदार द्वारा दी गई संतोषजनक सेवाओं एवं कैंटीन समिति के आंकलन के आधार पर किया जा सकेगा ।
5. जलपान गृह प्रात: 10.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक खुला रहेगा । शनिवार एवं रविवार सप्तानहांत अवकाश के रूप में होंगे । सरकारी छुट्टियों के दौरान संस्थारन के साथ-साथ कैंटीन भी बन्दा रहेगी ।
6. विशेष उत्संवों के अवसर पर जलपान गृह शनिवार/रविवार एवं अन्य सामान्ये अवकाशों के दिनों में भी खोलनी होगी ।
7. जलपान गृह में मात्र अनुमोदित खाद्य सामग्री ही तैयार की जा सकेगी और/बेची जा सकेगी। यदि ठेकेदार दूसरे खाद्य पदार्थ कैंटीन में बनाना चाहे तो वह कैंटीन समिति की अनुमति से ही ऐसा कर सकेगा ।
8. आवश्यहकता की स्थिपति में ठेकेदार को चाय आदि की आपूर्ति कर्मचारियों को उनके कार्यालय/प्रभाग/प्रयोगशाला/प्रकोष्ठच/पुस्त्कालय आदि में करनी होगी ।
9. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में सहायक/सेवक काम पर रखने होंगे और वह उनका नाम व अन्यल विवरण पंजीकृत करेगा तथा उसकी एक प्रति वरिष्ठय प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय को उपलब्धं करायेगा ।
10. संस्थाबन की कैंटीन का लाभ उठाने के लिए बाहय व्य क्तिधयों को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
11. कैंटीन ठेकेदार , कैंटीन की सफाई, कैंटीन फर्नीचर क्राकरी व बर्तनों आदि की समुचित साफ-सफाई के लिए जिम्मे दार होगा तथा कैंटीन में अच्छी प्रकार की क्राकरी रखेगा ।
12. ठेकेदार द्वारा कैंटीन में तैयार किये जाने वाली चाय एवं अन्यी खाद्य पदार्थों की जॉच / निरीक्षण कैंटीन समिति द्वारा 15 दिन में एक बार की जायेगी । चाय एवं अन्यी

खाद्य पदार्थों की गुणवत्तािा असंतोषजनक पाये जाने की स्थि ति में समिति ठेकेदार पर रू. 500/- का जुर्माना लगा सकती है और समिति का निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा । ऐसा न किये जाने की स्थिाति में जुर्माना किये जाने की तिथि से एक माह तक के लिए उसे रूपये 5/- प्रतिदिन की दर से फाइन देना होगा । यदि इस पर भी वह उक्तउ जुर्माने को उस पर लगने वाले फाइन की राशि सहित उपरोक्त 1 माह की अवधि के अन्दतर नहीं दे पाता है तो उसको प्रदान किया गया ठेका तत्कारल कैंटीन समिति की सिफारिश पर निदेशक राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थािन द्वारा निरस्ति किया जा सकता है ।

13. यदि चाय एवं अन्यद खाद्य पदार्थो की अच्छीथ गुणवत्ताा एवं निर्धारित मात्रा/ वजन को बनाये रखना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चिषत नहीं किया जाता है और यदि खाने की वस्तुाओं की गुणवत्ताठ समिति द्वारा खराब पाई जाती है और ठेकेदार को खाद्य पदार्थ आदि की गुणवत्ताठ में सुधार के लिए लगातार 3 बार अनुस्मायरक जारी किये जाने के बावजूद भी समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तब समिति ठेके को निरस्ति किये जाने हेतु संस्तु ति कर सकती है।

14. यदि ठेकेदार द्वारा जलपान गृह को किसी भी कार्य दिवस में बंद रखा जाता है तो ठेकेदार पर 100/- का जुर्माना किया जाएगा जिसे ठेकेदार को 7 दिनों के अन्द र जमा करना होगा । ऐसा न किये जाने पर कैंटीन बंद किये जाने की तिथि से एक माह तक के लिए रू0 5/- प्रतिदिन की दर से फाइन देना होगा। यदि इस पर भी उक्तद जुर्माने को उस पर लगने वाले फाइन की राशि सहित उपरोक्तक एक माह की अवधि के अंदर नहीं दे पाता है तो उसको प्रदान किया गया ठेका तत्का ल कैंटीन समिति की सिफारिश पर निदेशक महोदय द्वारा निरस्ता किया जा सकता है ।

15. संस्था न अथवा ठेकेदार किसी के द्वारा भी 30 दिन की अवधि की पूर्व-सूचना देकर ठेका समाप्ते किया जा सकता है । तथापि ठेकेदार को कैंटीन को सामान्यह तौर से चलाते रहना होगा ।

16. किसी भी निविदा को स्वी कार अथवा अस्वीाकार करने का संस्थान को पूरा अधिकार होगा ।

17. किसी भी विवाद की स्थिीति में पूरा मामला निदेशक राजसं के सम्मुख प्रस्तुरत किया जायेगा एवं उनका निर्णय अन्ति म होगा ।

क्रय अधिकारी